न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख प्रा. निर्णय
1/109/21	28.12.2021	24.01.2022

बउनवान

श्री राजेश गर्ग पुत्र श्री ओमप्रकाश गर्ग आयु करीब 49 वर्ष जाति महाजन निवासी बी–93 बुद्वविहार, अलवर राज. वादीगण

––अपीलान्ट

बनाम

1. उषा अग्रवाल पत्नि रवि अग्रवाल जाति महाजन निवासी 16 लाजपत नगर, स्कीम नम्बर 2, अलवर राजस्थान
2. कमलजीत सिंह पुत्र नानक सिंह साकिन देह खातेदार अलवर नं 01
3. डॉ.मंजूलता पत्नि सतीश चन्द जाति महाजन निवासी सा0दे0 खातेदार अलवर नं.01
4. विनिता अग्रवाल पत्नि विजय अग्रवाल जाति महाजन
5. शिल्पी अग्रवाल पत्नि अजय अग्रवाल जाति महाजन 15 लाजपत नगर, स्कीम नम्बर 2, अलवर राजस्थान
6. सुभाष पुत्र हरिनारायण जाति महाजन खण्डेलवाल सा0देवह खातेदार अलवर नं01
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लेण्ड होल्डर) अलवर राजस्थान ।

––रेस्पो0

दावा अन्तर्गत धारा 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रारम्भिक निर्णय

वकील वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। वाद का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है, कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2561 रकबा 0.7000 है0 वाके ग्राम अलवर नं.01 का 1/2 हिस्से मे से 19/ 35 हिस्सा श्रीमती ममता गर्ग पत्नि दिनेश गर्ग से जर्ये उपहार पत्र दिनांक 09.06.2014 को प्राप्त हुई। बाद

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज0)

...नामा वादी के नाम इन्तकाल वय स्वीकृत कर अमल राजस्व रिकार्ड मे किया गया। विवा...त आराज में वादी का 2/35 हिस्सा, एवं प्रतिवादी 01 का 1/6 हिस्सा, प्रविादी 02 का 13/70 हिस्सा, प्रतिवादी 3 का 3/70 हिस्सा, प्रतिवादी 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी 5 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी 6 का 03/14 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्तनुसार विवादित आराजीयात मे सभी सह खातेदार काश्तकार है। तथा अपने अपने हिस्सेनुसार शामलात में काश्त करते चले आ रहे है। तथा सभी पक्षकारान उक्त आराजी में अपने अपने हिस्सेनुार आराजी के प्रत्येक इन्च मे अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी में से बुरी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी अबठ है। वादी विवादित आराजी को शान्ति पूर्ण तरीके से अपयोग एवं उपभोग नही कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में अब वादी का शामलात मे काश्त करना दुलर्भ हो गया है। इसलिये उपरोकतनुसार विवादित ...राजी खसरा नम्बर हाल 2561 रकबा 0.7000 है0 वाकं ग्राम अलवर नं01 तहसील अलवर मे से वादी का हिस्सा 2/35 अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी तकसीम करने के आदेश सादर फरमाये।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना हाजीर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण के विरूद इकतरफा कार्यवाही की जाकर वकील वादी की बहस सुनी।

हमने वकील वादी की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिर्पोट मंगवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी इस प्रकार प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है। कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 2561 रकबा 0.7000 है0 वाके ग्राम अलवर नं01 तहसील अलवर का बाई मिटस एन्ड बाउन्ड वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके के अनुसार कुरेजात कायम कर कुरेजात रिर्पोट न्यायलय में भिजवाने हेतु तहसीलदार अलवर को अहकाम जारी हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
अलवर